5 रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5 CANCELLED.

R 3761 - I 16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

1. द्वारका प्रसाद आयु 57 वर्ष तनय स्व0 फूलचंद चौरसिया
2. सुदामा प्रसाद उम्र 52 वर्ष तनय स्व0 फूलचंद चौरसिया
3. श्यामबिहारी उम्र 43 वर्ष तनय स्व0 फूलचंद चौरसिया

सभी निवासी ग्राम ढाना तह. जिला सागर म.प्र. ....**पुनरीक्षणकर्तागण**

B.O.R. 03 OCT 2016

//विरुद्ध//

1. अशोक कुमार तनय स्व0 रामनाथ उपाध्याय फौत द्वारा वानसानः–

अ. राजा वल्द अशोक कुमार उपाध्याय निवासी ढाना तह. जिला सागर

2. देवेन्द्र कुमार उम्र 55 वर्ष तनय स्व0 रामनाथ उपाध्याय
3. सुनील कुमार उम्र करीब 40 वर्ष तनय स्व0 रामनाथ उपाध्याय
3. सियाबाई उम्र 76 वर्ष बेवा स्व0 रामनाथ उपाध्याय फौत 16.8.2016

सभी निवासी ग्राम ढाना तह. जिला सागर ......अनावेदकगण

97
22.10.16

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षकर्तागण विनम्र प्रार्थी हैः–

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण ने रा.प्र.क्र. 03अ/06अ/2014–14 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारका प्रसाद वगैरह विरुद्ध अशोक कुमार

R 3761-V/16 (आदेश)

बगैरह में धारा 5 म्याद अधि. को दि. 30.08.16 को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध यह पुनरीक्षण मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण ने न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार सर्किल परसोरिया तह. जिला सागर द्वारा रा.प्र.क्र. 52अ/06अ वर्ष 1998–99 आदेश दि. 13.08.1999 जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को आदेश की सत्यप्रतिलिपी प्राप्त होने पर दि. 01.09.2014 को हुई थी के विरुद्ध अपील मय आवेदन पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं शपथपत्र के श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के न्यायालय में निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत की थी।

2. यह कि, अपीलार्थीगण ने दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों दि. 07.04.1994 को मौजा ढाना ब.नं. 234 प.ह.नं. 26 सर्किल परसोरिया तह. जिला सागर

ख.नं. 602/2 रकवा 1.34 एकड़ अर्थात् 0.539 हे.

ख.नं. 602/4 रकवा 0.60 एकड़ अर्थात 0.243 हे.

ख.नं. 601/2 रकवा 0.20 एकड़

कुल रकवा 2.14 एकड़ अर्थात् 863 हे.

दूसरा बैनामा दि. 07.04.1994

ख.नं. 602/1 रकवा 2.44 एकड़ अर्थात 0.987 हे.

दोनों बैनामों का कुल रकवा 4.58 एकड़ अर्थात 1.85 हे. क्रय कर कब्जा मालकाना व खास प्राप्त किया था जो आज भी पुनरीक्षणकर्ता का कब्जा निरंतर शांति पूर्वज चला आ रहा है। उक्त बैनामों के अनुसार राजस्व अभिलेख में विधिवत

R-3761-B/16 (न्याय)

27-11-16.

प्र. 21/11/16
आवेदक को पुकार लगाई
[illegible] [illegible] उप० नहीं
[illegible] [illegible] पेशी पर आवेदक
[illegible] [illegible] आवेदक को
[illegible] [illegible] प्रकरण
[illegible] [illegible] कारण अवश्य
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
है। प्रकरण खारिज हो।

NA
देवेन्द्र उपाध्याय
ह०
27.11